

विष्कम्भक और प्रवेशक अर्थोपक्षेपकद्वय का स्वरूप

डॉ. वीरेन्द्र कुमार जोशी
व्याख्याता संस्कृत
गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय
अलवर (राजस्थान) 301001

रूपक दृश्य होते हैं । उनका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है । इसलिए किसी नायक के जीवन की सभी घटनाओं का रूपक में वर्णन नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त भारतीय नाट्य – परम्परा के अनुसार कुछ घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय करना अनुचित है , जैसे किसी की मृत्यु आदि । साथ ही रूपक रसाश्रित होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य रसास्वादन कराना है । किन्तु इतिवृत्त की सभी घटनाएं सरस नहीं होती । साथ ही कतिपय घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका रंगमंच पर दिखलाना वांछनीय नहीं होता । इसलिए कथा – सूत्र को अविच्छिन्न रखने के लिए इसकी सूचना अवश्य देनी होती है । इसलिए कथावस्तु के दो भाग किए गए हैं – सूच्य और दृश्य—

द्वेषा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः ।

सूच्यमेव भवेत् किञ्चिद् दृश्यश्रव्यमथापरम् ॥

नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः ।

दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥

जो रोचक उदात्त तथा सरस घटनाएं होती हैं , उनका विशद वर्णन किया जाता है और रंगमंच पर अभिनय भी , वही दृश्य इतिवृत्त है । रूपक की कथा में कुछ अंश प्रदर्शन की दृष्टि से नीरस एवं अनुपयुक्त होते हैं , वे सूच्य इतिवृत्त में आते हैं । सूच्य को अर्थोपक्षेपक कहा गया है । अर्थ (कथा) का उपक्षेप (सूचन) जिसमें हो , वह अर्थोपक्षेपक होता है ।

सूच्य इतिवृत्त की सूचना देने के लिये रूपकों में पाँच प्रकार के अर्थोपक्षेपकों (अर्थ के सूचक) का प्रयोग किया जाता है दृष्टि विष्कम्भक , चूलिका , अङ्कास्य , अङ्कावतार और प्रवेशक । दशरूपक के अनुसार ये अर्थोपक्षेपक हैं –

अर्थोपक्षेपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत् ।

विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्गावतारप्रवेशकैः ॥

विष्कम्भक

बीते हुए और आगे होने वाले कथा-भागों का सूचक , संक्षिप्त अर्थ वाला तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त जो अर्थोपक्षेपक है , वह विष्कम्भक कहलाता है । विष्कम्भक का लक्षण नाट्यशास्त्र में इस प्रकार है – प्रकरण में प्रवेशक की तरह विष्कम्भक रखा जा सकता है । इसके पात्र मध्यम श्रेणी के और संवाद संस्कृत में ही होते हैं । यह दो प्रकार का होता है –शुद्ध एवं संकीर्ण । मध्यम पात्रों द्वारा प्रस्तुत शुद्ध विष्कम्भक होता है एवं मध्यम तथा अधम पात्रों द्वारा प्रस्तुत संकीर्ण विष्कम्भक कहलाता है । संकीर्ण के संवाद संस्कृत और प्राकृत में होते हैं । अन्य आचार्यों ने विष्कम्भक को भरत की तरह ही परिभाषित किया है । अभिनवगुप्त ने इसकी निरुक्ति इस प्रकार की है –

‘विष्कम्भयति उपस्तम्भयतीति विष्कम्भकः ।’

जिसमें कथा के प्रयोज्य तथा सूच्य को संक्षेप में बताया जाय , वह विष्कम्भक है । सागरनन्दी कहते हैं – ‘हर्षाद्विष्कम्भकेन विष्कम्भक उच्यते (विष्कम्भक हर्ष की तीव्र गति का निवारक होता है)। यह विस्तृत कार्य-कलाप के प्रसार को रोकता है एवं इतिवृत्त को खम्भे या स्तम्भ की भाँति सहारा देता है। इस प्रकार विष्कम्भक का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण ।

शारदातनय के अनुसार विष्कम्भक का लक्षण इस प्रकार हैं –

शुद्धोऽनेकैरर्थैकेन मध्यपात्रेण योजितः नीचमध्यमपात्रेण संकीर्णस्तादृशेन च ।

विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में विष्कम्भक का लक्षण किया है –

मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः ।

शुद्धः स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥

दशरूपक में इसका लक्षण है –

वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः ।

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥

वह दो प्रकार का होता है कृशुद्ध और सङ्कीर्ण । एक या अनेक मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक शुद्ध कहलाता है । और मध्यम तथा अधम पात्रों द्वारा मिलकर प्रयोजित विष्कम्भक सङ्कीर्ण कहलाता है –

एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमैः ।

नाट्यशास्त्र के विष्कम्भक के लक्षण – प्रसंग में उल्लेख है कि इसके पात्र मध्यम तथा अधम – श्रेणी के होते हैं । विज्ञानी , मधुरभाषी , लोकोपचार – चतुर और शिल्पशास्त्रविशारद होना मध्यम – श्रेणी के पात्रों की पहचान है । नाट्यदर्पण में अमात्य , सेनापति , वणिक् एवं विप्रादि को मध्यम पात्र बताया गया है । ये पात्र राजा (नायक) की अपेक्षा से मध्यम किन्तु अधम – पात्रों की अपेक्षा से ये ही प्रधान हो जाते हैं –'

मध्यमत्वं चैषां राजापेक्षया ।

राजपरिजनापेक्षया तु तेऽपि प्रधानम् ।'

सिंहभूपाल ने विष्कम्भक के लक्षण में मध्यम-पात्रों का नामोल्लेख न करते हुए उन्हें 'अमुख्य' कहा है । इन्होंने चेटी और नटाचार्य का उल्लेख नीच पात्रों के रूप में किया है । रूपगोस्वामी ने भी मध्यम पात्रों का उल्लेख न करके उन्हें 'अमुख्य' कहा है ।

रूपक में तीन प्रकार के पात्र माने जाते हैं – उत्तम राजा इत्यादि, ये संस्कृत बोलते हैं । मध्यम – अमात्य , सेनापति , वणिक् , पुरोहित आदि ये भी संस्कृत बोलते हैं । अधम – दास , चेटी इत्यादि जो प्राकृत भाषा बोलते हैं ।

जिस इतिवृत्त को अङ्कों में नहीं दिखलाया जा सकता विष्कम्भक से उसकी सूचना दी जाती है । विष्कम्भक का वर्ण्य अर्थ संक्षिप्त होता है , विस्तृत अर्थ को भी संक्षेप में ही कहा जाता है । यह भूत तथा भविष्य के कथाभाग को सूचित करके कथा – सूत्र को अविच्छिन्न बनाता है । इसका अङ्क के प्रारम्भ में प्रयोग किया जाता है । कोहल का मत है कि विष्कम्भक का प्रयोग केवल प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में ही होता है । अन्य अङ्कों में इसका प्रयोग होता ही नहीं । रामचन्द्र – गुणचन्द्र की दृष्टि में विष्कम्भक दो अंकों एवं अतीत और अनागत को जोड़ने वाला होता है । वर्तमान कथांश की सूचना भी इसमें रहती है । रामचन्द्र – गुणचन्द्र ने स्पष्ट कहा है –

अंकानर्हस्य वृत्तस्य त्रिकालस्यानुरंजिना

संक्षिप्य संस्कृतेनोक्तिः अंकादौ मध्यमैर्जनैः ॥

शुद्धो विष्कम्भकस्तत्र संकीर्णो नीचमध्यमैः ।

अंकसन्धायकः शक्यसन्धानातीतकालवान् । ।

विष्कम्भक प्रवेशक की अर्थक्रिया के अनुसार निबद्ध होता है – आचार्य भरत का यह आशय आचार्य अभिनवगुप्त के पाठ – 'अंकान्तरानुसारी प्रवेशकोऽर्थक्रियां समभिवीक्ष्य' में संकेतित है । सागरनन्दी किन्हीं आचार्य चारायण को उद्धृत करते हुये कहते हैं – 'प्रवेशकस्तावदुक्तः विष्कम्भकः आह चारायणः प्रकरण- नाटकयोर्विष्कम्भक इति । प्रवेशकस्थानीय एवासौ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि धनंजय के समय तक अपनी उत्कृष्टता के कारण विष्कम्भक के प्रयोग नाटकों में अधिक होने लगे थे । अतः उनकी अवधारणा में विष्कम्भक प्रधान है । प्रवेशक – लक्षण में उनका "तद्वदेव" शब्द कम से कम यही सूचित करता है । इस विषय में विश्वनाथ एवं रूपगोस्वामी का विष्कम्भकाद्यैरपि नो वधो वाच्योऽधिकारिणः ॥' विष्कम्भक में भी मुख्य नायक का वध नहीं बतलाना चाहिए । कहना भी इसी दृष्टि से प्रासंगिक है ।

प्रवेशक

अर्थोपक्षेपकों में प्रथम एवं मूल अर्थोपक्षेपक प्रवेशक है , उसके विकास के रूप में विष्कम्भक बाद में आया है । नाट्यशास्त्र में प्रवेशक का निरूपण विस्तारपूर्वक किया गया है , जबकि विष्कम्भक का निरूपण सन्दिग्ध स्थल में है । भरतमुनि जिन कथाशों या दृश्यों को अंक – भाग में नहीं रखने का उल्लेख जहाँ – जहाँ करते हैं , वहाँ – वहाँ वे उसे

“प्रवेशक” द्वारा ही सूचित करने का निर्देश देते हैं, “विष्कम्भक” से नहीं। उनकी परम्परा के आचार्यों ने भी ऐसे ही निर्देश दिये हैं। धनंजय ने दशरूपक में जहाँ निषिद्ध दृश्यों की चर्चा की है, वहाँ धनिक ने अपनी टीका में कहा है – ‘अंकैर्नैवोपनिबन्धीयात् प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थः।’

प्रवेशक अर्थोपक्षेपक भूत तथा भविष्य के कथा भाग को सूचित कर के कथा – सूत्र को जोड़ता है। दशरूपक में प्रवेशक की परिभाषा इस प्रकार है –

तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ।

प्रवेशोऽङ्कद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः ।

अर्थात् उसी प्रकार (= भूत और भविष्य के कथांशों का सूचक) नीचपात्रों द्वारा अनुदात्त उक्तियों से प्रयुक्त, दो अङ्कों के बीच में स्थित तथा शेष (अप्रदर्शनीय) अर्थ का सूचक प्रवेशक कहलाता है।

नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रवेशक के पात्र अधम – श्रेणी के होते हैं। भरत ने क्रोधी, दुश्चरित्र, अप्रियवादी, कुसत्त्व, घातक, स्थूलमतिस्मपन्न, कृतघ्न, आलसी, चुगलखोर, परद्रव्यापहारी, स्त्रैण, कलहकर्ता, मित्रहन्ता, छिद्रान्वेषी पात्रों को अधम कहा है। अतः उपर्युक्त को ही प्रवेशक के पात्र समझना चाहिये। नाट्यदर्पण के प्रवेशक – प्रसंग में केवल दास एवं चेट का उल्लेख किया गया है। सागरनन्दी ने भरत की कारिका – ‘परिजनकथानुबन्धः प्रवेशकः संविधातव्यः।।’

के आधार पर ‘दासीदासकंचुकीप्रभृतयः।’ तथा मातृगुप्ताचार्य के हवाले से विट, तापस, विप्र, मुनि एवं कंचुकी प्रवेशक के पात्र बताये हैं। शारदातनय प्रवेशक के लक्षण – प्रसंग में इसके पात्र विट, मुनि, दैवतपुरुष, तापस और कंचुकी की चर्चा करते हैं।

नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है – प्राकृतभाषाचारः प्रयोगमासाद्य कर्तव्यः।।

रामचन्द्र-गुणचन्द्र प्रवेशक में प्राकृत – भाषा का ग्राम्यार्थ प्रयोग इष्ट मानते हैं। सागरनन्दी कहते हैं कि यदि तापसादि पात्र प्रवेशक में हैं, तो इनकी भाषा संस्कृत ही रखनी चाहिए –

यदा च तापसादयः प्रवेशके सन्ति तत्र संस्कृतपाठ एव विधेयः ।

यहाँ वे नाट्यशास्त्र की वह कारिका भी उद्धृत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रवेशक में संवादों की दीर्घ समासयुक्त रचना में समास बहुल लम्बे वाक्य नहीं रखना चाहिए –

बह्वाश्रयमप्यर्थकः प्रवेशकः संक्षिपेत् सन्धौ

बहुचूर्णपदोपेतो जनयति खेदं प्रयोगस्य ।।

शारदातनय प्रवेशक में प्राकृत भाषा का प्रयोग अभीष्ट मानते हैं, किन्तु वैकल्पिक रूप में संस्कृत के प्रयोग का भी निर्देश देते हैं।

प्रवेशक और विष्कम्भक में समानता यह है— अङ्कों में न दिखलाने योग्य इतिवृत्त का सूचक होता है, वर्ण्य अर्थ संक्षिप्त होता है, भूत तथा भविष्यत् के कथा- भाग को सूचित करके कथासूत्र को जोड़ता है। दोनों का अन्तर यह है – विष्कम्भक में विशेषकर मध्यम पात्रों का प्रयोग किया जाता है, कभी मध्यम के साथ अधम का भी। फलतः विष्कम्भक में मुख्यतः संस्कृत भाषा का व्यवहार होता है सङ्कीर्ण विष्कम्भक में संस्कृत के साथ प्राकृत (शौरसेनी) का भी, दूसरी ओर प्रवेशक में केवल अधम पात्रों का ही प्रयोग होता है और तदनुसार इसमें संस्कृत भाषा का व्यवहार नहीं होता, केवल प्राकृत भाषा का व्यवहार होता है। (प्राकृत भी निम्नकोटि की शकारी, आभीरी, चाण्डाली आदि। विष्कम्भक की योजना प्रथम अङ्क के आरम्भ में तथा अन्य अङ्कों के आरम्भ में भी हो सकती है; किन्तु प्रवेशक सदा दो अङ्कों के बीच में ही आता है, वह कभी प्रथम अङ्क के आरम्भ में नहीं आ सकता।

नाट्य शास्त्र में केवल नाटक एवं प्रकरण में प्रवेशक और विष्कम्भक को नियोजित करने के निर्देश मिलते हैं। शेष रूपकों में इनके प्रयोग सम्बन्धी निर्देश नहीं मिलते। रामचन्द्र –गुणचन्द्र कहते हैं कि प्रवेशक एवं विष्कम्भक ये दोनों नाटक, प्रकरण, नाटिका और प्रकरणी (उपरूपक) इन चार रूपक – प्रकारों में रखे जाते हैं। शारदातनय के अनुसार डिम एवं ईहामृग में प्रवेशक और विष्कम्भक को तथा अंक में प्रवेशक और संकीर्ण विष्कम्भक को रखा जा सकता है।

सिंहभूपाल ने डिम में प्रवेशक, विष्कम्भक तथा चूलिका को रखने का निर्देश दिया है। वे व्यायोग में विष्कम्भक एवं चूलिका को और ईहामृग तथा अंक में प्रवेशक और विष्कम्भक को नियोजित करने की बात भी कहते हैं। अर्थोपक्षेपकों में प्रवेशक एवं विष्कम्भक को ही प्रधान माना गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- दशरूपकम् – व्याख्याकार – डॉ. श्रीनिवास शास्त्री
- 2 – अभिज्ञान शाकुन्तलम् – व्याख्याकार डॉ. प्रभाकर शास्त्री
- 3- संस्कृत – वाङ्मय का बृहद् इतिहास
प्रधान सम्पादक – पद्मभूषण आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय , सम्पादक प्रो. व्रज बिहारी चौबे
- 4 – संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास – डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी
- 5 – संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास – पद्मश्री डॉ. कपिलदेव द्विवेदी आचार्य
- 6 – भरत और भारतीय नाट्य कला – सुरेन्द्रनाथ दीक्षित
- 7 – साहित्य दर्पण – आचार्य विश्वनाथ
- 8 – भावप्रकाशन –शारदातनय